

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी ।

फौ0 वाद0 संख्या — 02/2018

सरकार

बनाम

अश्वनी कुमार ।

अ0 सं0 — 276/2017

बयान मुल्जिम

धारा— 279, 337, 338 भा0द0सं0

थाना— टोडीफतेहपुर,

जिला—झांसी ।

नाम, उम्र वर्ष, पुत्र, पेशा,

निवासी, थाना जिला झांसी ने बयान दिया है कि :—

प्रश्न संख्या 1. दिनांक 11.10.2017 को, समय करीब 11.00 बजे दिन, बहद पुलिया के पास, ग्राम बडवार, थाना टोडीफतेहपुर, जिला झांसी में आप द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटर साइकिल चलाकर, वादिनी मुकदमा श्रीमती फरखाना बानो के पति शरीफ खॉ को टक्कर मारकर गंभीर चोटें कारित की। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर:

प्रश्न संख्या 2. मुकदमा आपके विरुद्ध क्यों चला?

उत्तर:

प्रश्न संख्या 3. क्या आपको अपना जुर्म स्वेच्छापूर्वक स्वीकार है?

उत्तर:

प्रश्न संख्या 4. क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर:

दिनांक: 02.02.2018 बयान सुनकर तस्दीक किया ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

गरौठा, झांसी

उपरोक्त पृच्छा मेरे द्वारा स्वीय हस्तलेख में अभियुक्त के कथनानुसार अंकित की गई। अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत है तथा इसी उम्र का देखने में प्रतीत होता है।

दिनांक: 02.02.2018

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

गरौठा, झांसी